| आदेश की कमांक एवं तिथि 1 | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्यवाही 3 |
|---|---|---|

## उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 31/2016–17
मुख्तार अंसारी वगै0 –बनाम– लोकमान अंसारी

**–: आदेश :–**

24.4.2019 – यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0 22/2013–14 लोकमान अंसारी–बनाम–मुख्तार अंसारी एवं अन्य में दिनांक 22.07.2016/02.09.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध में दायर अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया हैं।

यह मामला बरहेट अंचल अन्तर्गत मौजा–पचकठिया संथाली के जमाबंदी नं0 15 दाग नं0 928 में कुल रकवा 01–18–14 धुर जमीन में से आंशिक रकवा 00–06–13 धुर भूमि से अवैध दखलकार 1. मुख्तार अंसारी, 2. जमशेद अंसारी, 3. जियाउल अंसारी, तीनों पिता–स्व0 खलील, सा0–पचकठिया, थाना–बरहेट, जिला–साहेबगंज को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत् अपीलार्थी को उच्छेद करने से संबंधित है।

**प्रथम पक्ष**– अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि मौजा पचकठिया संथाली जमाबंदी नं0 15 दाग नं0 928 उनके दखल में है, जिसपर कच्चा–पक्का मकान बनाकर निवास करते आ रहे है। उनका यह भी कहना है कि उपरोक्त भूमि उनके पूर्वज के समय से दखल में है एवं भूमि का खजाना रसीद का भुगतान करते आ रहे है। उनका दावा है कि बरहेट गोविन्दपुर सड़क निर्माण योजना के तहत भू–अर्जन कार्यालय से उक्त मकान को अधिग्रहण के दौरान अपीलार्थी को मुआवजा राशि भुगतान किया गया है। अंचल अधिकारी, बरहेट के पत्रांक 438 दिनांक 22.08.2017 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वारिसान है, जिसका आजतक हिस्सेदारों के बीच भूमि का बँटवारा नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के चाचा ने उक्त भूमि को दान–पत्र के माध्यम से दिया है। इस बात को उत्तरवादी भी स्वीकार करते है। अपीलार्थी को अनुमंडल पदाधिकारी, साहेगबंज द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 के अन्तर्गत उच्छेद किया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, बरहेट के आर0एम0 वाद सं0 12/2011–12 में दिनांक 12.06.2012 को उच्छेद किया गया। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में आर0ई वाद सं0 22/2013–14 दायर किया गया, जिसमें कागजात पर बिना विचार किये अपीलार्थी को उच्छेद कर दिया गया है। चुँकि उक्त भूमि पर कच्चा–पक्का मकान बना हुआ है, इसलिए उक्त भूमि पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 लागु नहीं होता है। अतः अनुरोध है कि अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को रदद किया जाय।

**द्वितीय पक्ष**–उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि यदि अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज के है तो उनको सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद (टाईटिल सूट) दायर करना चाहिए था। स्वत्व मामले का दावा के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। उनका यह भी दावा है कि मौजा पचकठिया संथाली एक दामिन–ई–कोह क्षेत्र है, जिसका हस्तान्तरण किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी का यह दावा कि भूमि पर कई वर्ष पूर्व से ही मकान बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि 08–10 वर्ष पूर्व जबरन दखल कर मिट्टी का मकान बना लिये है तथा वर्तमान में उक्त मकान के पीछे की जमीन को जबरन दखल कर लिये है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी भूमि के खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। इसका उल्लेख अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में भी किया गया है। अपीलार्थी ने गलत दान–पत्र कागजात बना कर साजिश के तहत् भूमि को

Scanned with CamScanner

| आदेश की क्रमांक एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|
| 1 | 2 |

हड़पना चाहते है। अपीलार्थी का यह दावा कि उनको भू–अर्जन कार्यालय से मुआवजा का भुगतान किया गया है। यह बात सत्य है कि अपीलार्थी को क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है लेकिन जमीन के मुआवजा का भुगतान उत्तरवादी को ही मिला है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी को अंचल अधिकारी, बरहेट द्वारा आर0एम0 वाद सं0 12/2011–12 में दिनांक 12.06.2012 को उच्छेद किया गया था। अपीलार्थी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण उत्तरवादी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में वाद आर0ई0 वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने अंचल अधिकारी, बरहेट से पुनः जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो पत्रांक 474/रा0, दिनांक 09.07.2016 अभिलेख में संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी जमाबंदी नं0 15 दाग नं0 928 कुल रकवा 01–18–14 धुर में से आंशिक रकवा 00–04–00 कट्ठा अवैध दखलकार है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दान–पत्र कागजात को मान्यता नहीं देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश में उन्हें उच्छेद कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

**प्रतिवेदन**–अंचल अधिकारी, बरहेट के पत्रांक 438/रा0, दिनांक 22.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा पंचकठिया संथाली थाना नं0 30 जमाबंदी नं0 15 के खतियान में खतियानी रैयत गुनजर मोमीन वो नवी पेसरान कसमली मोमीन वो रसूली मोमीन वो झग्गु मोमीन पेसरान अब्दुल मोमीन वो असरली मोमीन वल्द जुनाब अली मोमीन वो चीमन मोमीन वो मोची मोमीन पेसरान बहुबल मोमीन वो झगरू मोमीन वो गोपाल मोमीन पेसरान कालू मोमीन का नाम दर्ज है। दाग नं0 928 कुल रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 14 धुर जमीन किस्म धानी दोयम खतियान में दर्ज हैं। उक्त दाग के कैफियत में दखल गोपाल मोमीन वो झगरू मोमीन अंकित है। उत्तरवादी खतियानी रैयत गोपाल मोमीन के परपोता है एवं अपीलार्थीगण खतियानी रैयत रसूली मोमीन के परपोतागण है। दानकर्त्ता नुरीमान मोमीन पिता हैदात मोमीन ने मो0 खलील मोमीन पिता अमीर मोमीन को घर बनाने के लिए दाग नं0 928 के रकवा 04 कट्ठा जमीन दान स्वरूप दिये है। दानकर्त्ता उत्तरवादी के चाचा लगते है तथा दान ग्रहणकर्त्ता मो0 खलील मोमीन अपीलार्थीगण के पिता है। उक्त भूमि पर मिट्टी एवं ईटा का मकान है। गोविन्दपुर साहेबगंज सड़क निर्माण योजना के तहत अपीलार्थीगण को मकान का मुआवजा दिया गया है एवं उत्तरवादी को रकवा 22 डिसमिल जमीन का मुआवजा दिया गया है।

**निर्णय**–उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। साथ ही अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं प्रतिवेदन का अवलोकन किया। दोनों ही पक्ष एक खतियान से संबंध रखते है। लेकिन दोनों पक्ष अलग–अलग खतियानी रैयत के वंशज है। खतियान के कैफियत कॉलम के अनुसार दाग नं0 928 में दखल उत्तरवादी के परदादा गोपाल मोमीन का नाम अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का दावा तथ्य से परे है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेगबंज द्वारा दिनांक 22.07.2016/02.09.2016 को पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। इसी निर्णय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

24.04.19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

24/04/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner